

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन
कारपोरेशन लिमिटेड


GSTIN:-

09AAACU8823E1Z9

1. ई० निविदा सं०
08/वि०400के०वी०उ०सं०ख
०(प०)/2020-21 :-
विद्युत 400 के०वी० उपकेन्द्र
पनकी पर फायर
एक्सटिन्गुशर के रिफ्लिंग
का कार्य।

अधिशायी अभियन्ता
400 के०वी०उपसंस्थान
खण्ड, पनकी

"राष्ट्र हित में ऊर्जा
बचायें"


अधिशायी अभियन्ता
उ० प्र० पा० ट्रां० का० लि०
वि०-400, के०वी०
पनकी, कानपुर

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

ELECTY. 400 K.V. SUBSTATION DIVISION

विद्युत 400 के०वी० उप संस्थान खण्ड

PANKI KANPUR - 208020

पनकी कानपुर-208020

Email ID. ec400panki@upptcl.org

GSTIN:- 09AAACU8823E1Z9

CIN- U40101UP2004SGC028687

(विज्ञापन आदेश)

दिनांक 10.03.2021

संख्या. 246 / वि० 400 के०वी०उ०सं०ख०(प०) / विज्ञापन

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक,
दैनिक स्वतंत्र चेतना, कानपुर।

महोदय,

कृपया संलग्न विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के शीघ्रतम के अंक में "कम से कम स्थान" (हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 7-8 प्वाइन्ट टाइप में तथा अंग्रेजी के समाचार पत्रों के लिए 6-8 प्वाइन्ट टाइप में) (समाचार पत्र के केवल एक कालम) प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हेडिंग व नीचे का नाम का नाम व पता यथा सम्भव एक ही लाइन में रनिंग मैटर का रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।

1. निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल के साथ विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में, अग्रिम भुगतान प्राप्त रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी को (जो भुगतान परिक्षेत्रीय लेखा स्तर पर होना है) प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव न होगा।
3. संलग्न हिन्दी अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में तथा हिन्दी समाचार पत्र में केवल हिन्दी भाषा में ही किया जाये। हिन्दी समाचार पत्र के लिए संलग्न अंग्रेजी भाषा की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये जिसके लिए समाचार पत्र की कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशन होते विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें। इस संस्करण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त न हो प्रकाशन न करें।
6. विज्ञापन के अन्त सबसे नीचे छोटे टाइप में "राष्ट्र हित" में बिजली बचाये का नारा तथा इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।
7. उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गए विज्ञापनों में परिषद द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक:

1. विज्ञापन आदेश प्रथम एवं द्वितीय प्रति।
2. विज्ञापन सामग्री न०

संख्या. / वि० 400 के०वी०उ०सं०ख०(प०) / विज्ञापन

प्रतिलिपि विज्ञापन सामग्री सहित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जन सम्पर्क अधिकारी उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. उप मुख्य लेखाधिकारी (पा०द०) 64 खम्भा बाईपास रोड, सिकन्दरा आंगरा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, पनकी।
4. फट फाइल।
5. केस फाइल।

भारतीय

अधिशासी अभियन्ता

400 के०वी० उपसंस्थान खण्ड, पनकी
उ० प्र० पा० ट्रा० का० लि०

वि०-400, के०वी०

पनकी, कानपुर

दिनांक 10.03.2021

अधिशासी अभियन्ता
400 के०वी० उपसंस्थान खण्ड, पनकी